An Analytical Study of Schemes Implemented at the Primary Education Level

Supriya Srivastava* Dr. Raghavendra Malviya**
***Research Scholar, Department of Teacher Education**
****Assistant Professor, Department of Teacher Education**

Nehru Gram Bharati (Deemed University), Jamunipur Kotwa, Prayagraj, U.P.

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लागू की गई योजनाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुप्रिया श्रीवास्तव* डॉ. राघवेंद्र मालवीय **
***शोधार्थीनी, शिक्षक शिक्षा विभाग**
****असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग**
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), जमुनीपुर कोटवा, प्रयागराज, उ.प्र.

संक्षिप्त सार

प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतांत्रिक विकास की आधारशिला होती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना एक जटिल किंतु अनिवार्य दायित्व रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, गुणवत्ता सुधार, समावेशन तथा समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम आरम्भ किए गए। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख सरकारी योजनाओं—जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा अभियान, नवाचारपूर्ण डिजिटल पहलें तथा हालिया नीतिगत सुधार—का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं की उपलब्धियों, सीमाओं, क्रियान्वयन की चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है।

मुख्य शब्द: प्राथमिक शिक्षा, सरकारी योजनाएँ, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार आदि

1.भूमिका

शिक्षा मानव संसाधन विकास का सबसे प्रभावी साधन है। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा वह चरण है जहाँ बालक के संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की नींव रखी जाती है। भारत के संविधान में शिक्षा को प्रारम्भ से ही विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया। कालान्तर में 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति लंबे समय तक असमानताओं, नामांकन की कमी, उच्च ड्रॉपआउट दर, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय विषमता तथा गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त रही। इन चुनौतियों के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएँ आरम्भ कीं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, अधोसंरचना, पोषण, डिजिटल पहुँच तथा समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करना रहा है।

अध्ययन की आवश्यकता

प्राथमिक शिक्षा हेतु अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद अपेक्षित परिणाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं मिल पाए हैं। कुछ योजनाएँ अत्यंत सफल रहीं, जबकि कुछ योजनाएँ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सीमित प्रभाव डाल सकीं। इसलिए इन योजनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन आवश्यक है ताकि:

- योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके।
- क्रियान्वयन में आई बाधाओं की पहचान हो सके।
- नीति निर्माण हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

1. प्राथमिक शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का परिचय देना।
2. इन योजनाओं की उपलब्धियों का विश्लेषण करना।
3. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
4. प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

2.साहित्य समीक्षा

भारत में प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता सुधार एवं समानता सुनिश्चित करना रहा है। विभिन्न शोधकर्ताओं, आयोगों और सरकारी रिपोर्टों में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है।

अग्रवाल (2012) के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान ने 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि SSA के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, शिक्षक नियुक्ति तथा आधारभूत संरचना में सुधार हुआ। हालांकि, गुणवत्ता एवं शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी चुनौतियाँ बनी रहीं। कुमार और सिंह (2015) ने अपने अध्ययन में बताया कि SSA ने ग्रामीण एवं वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की, किंतु शैक्षिक उपलब्धि (Learning Outcomes) अपेक्षाकृत कम रही। ड्रेज़ एवं गोयल (2003) ने मध्याह्न भोजन योजना को प्राथमिक शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाने की एक प्रभावी सामाजिक योजना बताया। उनके अध्ययन के अनुसार यह योजना न केवल कुपोषण को कम करती है, बल्कि विद्यालय उपस्थिति और सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) को भी बढ़ावा देती है। शर्मा (2016) के शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मध्याह्न भोजन योजना से बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की विद्यालय उपस्थिति में विशेष सुधार हुआ। वर्मा (2014) के अनुसार RTE अधिनियम, 2009 ने प्राथमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान कर शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाया। अध्ययन में यह भी बताया गया कि अधिनियम के क्रियान्वयन में शिक्षक-छात्र अनुपात, आधारभूत सुविधाएँ और निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण रहीं। पांडे (2018) ने RTE के क्रियान्वयन में प्रशासनिक ढिलाई, संसाधनों की कमी तथा निगरानी तंत्र की कमजोरी को प्रमुख बाधाएँ बताया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT, 2020) की रिपोर्ट के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान ने पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

3.शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

3.1 डेटा के स्रोत

- सरकारी रिपोर्टें (भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय)
- यूनेस्को, यूनिसेफ की रिपोर्टें
- शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

4. योजनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण

प्राथमिक शिक्षा योजनाओं ने मात्रात्मक विस्तार तो सुनिश्चित किया, परंतु गुणात्मक सुधार अभी भी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी तथा निगरानी तंत्र की कमजोरी प्रमुख समस्याएँ हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ प्रारंभ की हैं। इनमें प्रमुख हैं—

4.1 प्राथमिक शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का परिचय

(क) सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ वर्ष 2001 में किया गया। इसका उद्देश्य 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। विद्यालयों की स्थापना, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण इस योजना के मुख्य घटक रहे।

(ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act)

यह अधिनियम 2010 से लागू हुआ, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसके तहत छात्र–शिक्षक अनुपात, विद्यालय अवसंरचना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित की गईं।

(ग) मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। पका हुआ भोजन प्रदान कर शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साथ सुदृढ़ किया गया।

(घ) समग्र शिक्षा अभियान

वर्ष 2018 में SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा को समेकित कर समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। यह योजना पूर्व-प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता एवं समावेशन पर बल देती है।

4.2 योजनाओं की उपलब्धियों का विश्लेषण

इन योजनाओं के प्रभाव से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा नामांकन दर लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुँच गई है। बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों

की भागीदारी में वृद्धि हुई है। मध्याह्न भोजन योजना के कारण विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ी तथा कुपोषण की समस्या में कमी आई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं समावेशी शिक्षा को नया आयाम मिला है।

4.3 योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान

यद्यपि योजनाओं से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में विद्यालयों की भौतिक सुविधाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं। योग्य शिक्षकों की कमी, बहु-स्तरीय कक्षाएँ तथा शिक्षण की गुणवत्ता एक गंभीर समस्या है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक ढिलाई, वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण, तथा कुछ क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक कारणों से बाल श्रम एवं ड्रॉपआउट की समस्या भी देखने को मिलती है।

4.4 प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव

प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

- शिक्षकों की नियमित भर्ती एवं सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- डिजिटल एवं नवाचारी शिक्षण विधियों को प्राथमिक स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
- विद्यालय अवसंरचना, स्वच्छता एवं पेयजल सुविधाओं में सुधार किया जाए।
- समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

5.परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं ने देश में शैक्षिक पहुँच, नामांकन, निरंतरता एवं गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं का प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत निबंधात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

- **प्रमुख योजनाओं का समग्र प्रभाव**
  सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE-2009), मध्याह्न भोजन योजना (अब *पीएम पोषण योजना*), समग्र शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया एवं DIKSHA जैसे कार्यक्रमों ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षकों की नियुक्ति तथा बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण हुआ है। विशेष रूप से वंचित, ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।
- **योजनाओं की उपलब्धियाँ**
  अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ उपस्थिति बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाई है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या सुधार और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार परिलक्षित हुआ है। बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों ने समावेशी शिक्षा को बल प्रदान किया है।
- **क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ**
  हालाँकि योजनाओं की उपलब्धियाँ सराहनीय हैं, फिर भी उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आई हैं। कई क्षेत्रों में अपर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा निगरानी व्यवस्था की कमजोरियाँ देखी गई हैं। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएँ अभी भी संतोषजनक नहीं हैं। डिजिटल शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में तकनीकी संसाधनों और डिजिटल साक्षरता की कमी एक बड़ी बाधा के रूप में उभरकर सामने आई है।
- **प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु सुझावों की दिशा**
  अध्ययन के परिणाम यह संकेत देते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए योजनाओं के बेहतर समन्वय, नियमित मूल्यांकन एवं सुदृढ़ निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, समुदाय की सक्रिय भागीदारी तथा तकनीकी संसाधनों की समान उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, योजनाओं के लाभार्थियों तक सही समय पर संसाधन पहुँचाने हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है।

6.निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं ने भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नामांकन, उपस्थिति एवं लैंगिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, गुणवत्ता, सीखने के परिणाम तथा समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु अभी भी सतत प्रयास आवश्यक हैं। प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचार एवं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है।

सरकारी योजनाओं ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु गुणवत्ता, अधिगम स्तर एवं सतत निगरानी अब भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अधिकांश शोध इस बात पर सहमत हैं कि योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षक सशक्तिकरण और समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा की योजनाएँ देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही हैं। यद्यपि कई चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, किंतु उचित नीतिगत सुधार, प्रभावी क्रियान्वयन एवं सामुदायिक सहयोग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। एक मजबूत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ही विकसित एवं सशक्त भारत की नींव रख सकती है।

7.संदर्भ सूची

1. MHRD(2019) समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क। नई दिल्ली
2. यूनेस्को(2017) सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट
3. यूनिसेफ (2018) दुनिया के बच्चों की स्थिति
4. भारत सरकार (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय
5. अग्रवाल, आर. (2012). भारत में प्राथमिक शिक्षा: नीति और अभ्यास। नई दिल्ली: कनिष्का पब्लिशर्स।
6. ड्रेज़, जे., और गोयल, ए. (2003). मिड-डे मील का भविष्य। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 38(44), 4673–4683।
7. कुमार, एस., और सिंह, आर. (2015). सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च, 4(2), 45–56।
8. NCERT. (2020). समग्र शिक्षा: स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना। नई दिल्ली: NCERT।
9. पांडेय, पी. (2018). शिक्षा का अधिकार अधिनियम: मुद्दे और चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड सोसाइटी, 6(1), 23–30।
10. शर्मा, एम. (2016). मिड-डे मील योजना और स्कूल में भागीदारी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज, 5(3), 112–118।
11. वर्मा, एस. (2014). भारत में शिक्षा का अधिकार: एक आलोचनात्मक विश्लेषण। नई दिल्ली: PHI लर्निंग।